Amire Ahle Sunnat Se Aasaan Shadi Ke Baare Mein Suwal Jawab (Hindi)

हफ़्तावार रिसाला : 224
Weekly Booklet : 224

शैख़े तरीक़त, अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दा'वते इस्लामी, हज़रते अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मुहम्मद इल्यास अत्तार क़ादिरी रज़वी دامت برکاتہم العالیہ के मल्फ़ूज़ात का तहरीरी गुलदस्ता

अमीरे अहले सुन्नत से आसान शादी के बारे में सुवाल जवाब

सफ़हात 22

- निकाह़ महंगा होने की वुजूहात 02
- दूल्हा वालों के माली मुत़ालबे रिश्वत हैं 04
- वन डिश सिस्टम राइज होना मुफ़ीद है 12
- जहेज़ का मालिक कौन ? 14

पेशकश :

मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ط بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

किताब पढ़ने की दुआ

अज़ : शैख़े त़रीक़त, अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दा'वते इस्लामी, ह़ज़रते अ़ल्लामा मौलाना अबू बिलाल **मुह़म्मद इल्यास अ़त्तार क़ादिरी** रज़वी دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه

दीनी किताब या इस्लामी सबक़ पढ़ने से पहले ज़ैल में दी हुई दुआ पढ़ लीजिये اِنْ شَآءَاللّٰه عَزَّوَجَلَّ जो कुछ पढ़ेंगे याद रहेगा । दुआ येह है :

اَللّٰھُمَّ افْتَحْ عَلَیْنَا حِکْمَتَکَ وَانْشُرْ
عَلَیْنَا رَحْمَتَکَ یَا ذَاالْجَلَالِ وَالْاِکْرَام

तरजमा : ऐ **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ ! हम पर इ़ल्मो ह़िक्मत के दरवाज़े खोल दे और हम पर अपनी रह़मत नाज़िल फ़रमा ! ऐ अ़ज़मत और बुज़ुर्गी वाले । (مُسْتَطْرَف ج ١ ص ٤٠ دارالفکر بیروت)

नोट : अव्वल आख़िर एक एक बार दुरूद शरीफ़ पढ़ लीजिये ।

त़ालिबे ग़मे मदीना
व बक़ीअ़
व मग़्फ़िरत
13 शव्वालुल मुकर्रम 1428 हि.

नामे रिसाला : **अमीरे अहले सुन्नत से आसान शादी के बारे में सुवाल जवाब**

सिने त़बाअ़त : रबीउ़ल आख़िर **1443** हि., नवम्बर **2021** ई.

ता'दाद : 000

नाशिर : **मक्तबतुल मदीना**

मदनी इल्तिजा : किसी और को येह रिसाला छापने की इजाज़त नहीं है ।

ट्रान्सलेशन डिपार्टमेन्ट (दा'वते इस्लामी)

येह रिसाला "**अमीरे अहले सुन्नत से आसान शादी के बारे में सुवाल जवाब**" मजलिसे **अल मदीनतुल इल्मिय्या** (दा'वते इस्लामी) ने **उर्दू** ज़बान में मुरत्तब किया है। ट्रान्सलेशन डिपार्टमेन्ट (दा'वते इस्लामी) ने इस रिसाले को **हिन्दी** रस्मुल ख़त में तरतीब दे कर पेश किया है और **मक्तबतुल मदीना** से शाएअ करवाया है।

इस रिसाले में अगर किसी जगह कमी बेशी या ग़लती पाएं तो ट्रान्सलेशन डिपार्टमेन्ट को (ब ज़रीअए मक्तूब, Email या SMS) मुत्तलअ फ़रमा कर सवाब कमाइये।

राबिता : ट्रान्सलेशन डिपार्टमेन्ट (दा'वते इस्लामी)

मक्तबतुल मदीना, सिलेक्टेड हाउस, अलिफ़ की मस्जिद के सामने,
तीन दरवाज़ा, अहमदआबाद-1, गुजरात

MO. 9898732611 • E-mail :hind.printing92@gmail.com

क़ियामत के रोज़ हसरत

फ़रमाने मुस्तफ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم : सब से ज़ियादा हसरत क़ियामत के दिन उस को होगी जिसे दुन्या में इल्म हासिल करने का मौक़अ मिला मगर उस ने हासिल न किया और उस शख़्स को होगी जिस ने इल्म हासिल किया और दूसरों ने तो उस से सुन कर नफ़अ उठाया लेकिन इस ने न उठाया (या'नी उस इल्म पर अमल न किया)। (تاریخ دمشق لابن عساکر ج۵۱ ص۱۳۸ دارالفکر بیروت)

किताब के ख़रीदार मुतवज्जेह हों

किताब की तबाअत में नुमायां ख़राबी हो या सफ़्हात कम हों या बाइन्डिंग में आगे पीछे हो गए हों तो **मक्तबतुल मदीना** से रुजूअ फ़रमाइये।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

येह रिसाला अमीरे अहले सुन्नत دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه से किये गए सुवालात और उन के जवाबात पर मुश्तमिल है।

अमीरे अहले सुन्नत से आसान शादी के बारे में सुवाल जवाब

दुआए जा नशीने अमीरे अहले सुन्नत : या रब्बल मुस्त़फ़ा ! जो कोई 20 सफ़्ह़ात का रिसाला : **''अमीरे अहले सुन्नत से आसान शादी के बारे में सुवाल जवाब''** पढ़ या सुन ले उसे निकाह़ की सुन्नत शरीअ़त के मुत़ाबिक़ अदा करने और ग़ैर शर्ई रस्मो रवाज से बचा कर अपने प्यारे प्यारे आख़िरी नबी صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم की सुन्नतों पर चलने की तौफ़ीक़ अ़त़ा फ़रमा। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صلى الله عليه واله وسلم

दुरूद शरीफ़ की फ़ज़ीलत

मन्क़ूल है : एक शख़्स को इन्तिक़ाल के बा'द किसी ने ख़्वाब में सर पर मजूसियों (या'नी आतश परस्तों) की टोपी पहने हुए देखा तो इस का सबब पूछा, उस ने जवाब दिया : जब कभी मुह़म्मदे मुस्त़फ़ा صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم का नामे मुबारक आता मैं दुरूद शरीफ़ न पढ़ता था इस गुनाह की नुहूसत से मुझ से मा'रिफ़त और ईमान सल्ब कर लिये गए (या'नी छीन लिये गए)। (سبع سنابل، ص35)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ على مُحَمَّد

निकाह़ महंगा होने की वुजूहात

सुवाल : आज कल निकाह़ महंगे से महंगा होता जा रहा है और इस सिल्सिले में नित नए ग़ैर शर्ई त़रीक़े आते जा रहे हैं लिहाज़ा आप से गुज़ारिश है कि इस बारे में रहनुमाई फ़रमा दीजिये।

जवाब : निकाह़ बिल्कुल मुफ़्त था मगर अब महंगा हो गया है। याद रखिये ! निकाह़ में एक पैसा भी वाजिब नहीं है कि पैसा नहीं होगा तो निकाह़ नहीं होगा। अलबत्ता मह्र वाजिब होता है। (ردالمحتار، 4/219) और इस की कम अज़ कम मिक़्दार दो तोले साढ़े सात माशे चांदी है। (बहारे शरीअ़त, 2/64, ह़िस्सा : 7) जिस की रक़म हिन्दूस्तानी करन्सी के ह़िसाब से (12 नवम्बर 2021 के मुत़ाबिक़) तक़्रीबन दो हज़ार पचास (2050) रुपै बनती है तो यूं निकाह़ करना गोया मुफ़्त ही है। शादी की पहली रात गुज़ार कर वलीमा करना सुन्नत है। (बहारे शरीअ़त, 3/391, ह़िस्सा : 16) लेकिन इस के लिये शादीहॉल बुक करवाना ज़रूरी नहीं है। इसी त़रह़ निकाह़ के लिये भी शादीहॉल बुक करवाना ज़रूरी नहीं।

अमीरे अहले सुन्नत का निकाह़ और वलीमा

اَلْحَمْدُلِلّٰه ! मेरा निकाह़ मस्जिद में हुवा था और मेरी दरख़्वास्त पर मुफ़्ती वक़ारुद्दीन साह़िब رَحْمَةُاللهِ عَلَيْه निकाह़ पढ़ाने तशरीफ़ लाए थे। हम बिल्डिंग की दूसरी मन्ज़िल पर रहते थे जब कि नीचे रहने वाले हमारे पड़ोसी का घर बड़ा था तो उस में मेरा वलीमा हुवा था। मैं ने शादी के मौक़अ़ पर अपने घर को दुल्हन की त़रह़ सजाया भी नहीं था अलबत्ता शायद दो चार ट्यूब लाइटें लगाई थीं और टेप रीकॉर्डर पर ना'त शरीफ़ चलाई थी। **अल्लाह** पाक की रह़मत और करम से हमारे यहां शुरूअ़ से

ही गाने बाजे का तसव्वुर नहीं है। याद रहे ! शादी पर लेना देना और सोना कपड़े वग़ैरा जो मा'मूलात होते हैं येह मेरी शादी पर भी हुए थे और येह जाइज़ भी है। इसी त़रह़ महर की कम अज़ कम मिक़्दार दो तोले साढ़े सात माशे चांदी है जब कि ज़ियादा से ज़ियादा की कोई ह़द मुक़र्रर नहीं है लिहाज़ा कोई कितना ही महर रखे जाइज़ है लेकिन महर दरमियाने दरजे का हो, ताकि बोझ न पड़े ।

बूढ़े बाप की पंखे से लटकी हुई लाश (इ़ब्रत नाक वाक़िआ़)

आज कल लोग शादियों में मकान वग़ैरा की डीमान्ड कर के एक दूसरे को परेशान करते हैं जिस की वज्ह से बा'ज़ अवक़ात मुआ़मला ख़ुदकुशी तक जा पहुंचता है चुनान्चे मैं ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट देखी जिस में एक बूढ़े आदमी की लाश पंखे से लटकी हुई थी और साथ में कुछ इस त़रह़ तह़रीर था : येह बूढ़ा आदमी अपनी बेटी की शादी कर रहा था, दूल्हे वाले रुख़्सती से पहले त़रह़ त़रह़ की डीमान्ड कर रहे थे कि येह चीज़ ले कर दो और वोह चीज़ ले कर दो जब कि येह क़र्ज़े ले ले कर उन की डीमान्डें पूरी कर रहा था। रुख़्सती से दो दिन पहले दूल्हा ने येह मुत़ालबा किया कि अगर मुझे फ़ुलां कार दिलाओगे तो मैं बारात ले कर आऊंगा वरना नहीं आऊंगा। अब इस बेचारे बूढ़े बाप ने बेटी के सुसराल से कहा : आप लोगों की डीमान्डें पूरी करते करते पहले ही मुझ पर बहुत सारा क़र्ज़ा चढ़ चुका है लिहाज़ा अब ऐसा कर के मुझे मज़ीद आज़्माइश में मत डालो, मगर दूल्हे मियां अपने मुत़ालबे पर अड़े रहे और बारात ले जाने से मन्अ़ कर दिया। बिल आख़िर नतीजा येह निकला कि इस बूढ़े बाप ने दिल बरदाश्ता हो कर ख़ुदकुशी कर ली ।

दूल्हा वालों के माली मुत़ालबे रिश्वत हैं

दूल्हा वालों का दुल्हन वालों से माली मुत़ालबे करना रिश्वत की एक सूरत और ह़राम है। अगर्चे लड़की का बाप बेचारा अपनी इ़ज़्ज़त बचाने और अपनी बच्ची को रुख़्सत करने के लिये मजबूरन डीमान्ड पूरी कर भी दे मगर मांगने वाला गुनाहगार है। (फ़तावा रज़विय्या, 12/257 माख़ूज़न) हमारे यहां शादियों में दूल्हा वालों की त़रफ़ से मुत़ालबे करना आ़म हो चुका है, कभी दुल्हन वालों से AC का मुत़ालबा किया जाता है और कभी मकान दिलवाने का, ह़ालां कि रहने के लिये मकान का इन्तिज़ाम करना लड़के पर वाजिब है। (تنویر الابصار، 1/284-283 ملتقطاً) आज कल लड़की वाले बेचारे मजबूरन लाखों करोड़ों के मकानात दे रहे हैं कि ज़ाहिर है लड़कियों की शादियां करनी हैं और लड़कियां ज़ियादा पैदा हो रही हैं। हमारी कुतियाना मेमन बरादरी में लड़के वाले लड़की वालों से मकान का मुत़ालबा नहीं करते बल्कि लड़का ख़ुद मकान का इन्तिज़ाम करता है लेकिन एक मेमन बरादरी ऐसी भी है जिस में लड़की वालों को मकान देना पड़ता है। इस त़रह़ की चीज़ों से बेचारे समाजी इदारे वाले कुढ़ते हैं जैसा कि अभी ह़ाल ही में मेरे ग़रीब ख़ाने (या'नी घर) पर मेमन बरादरी से तअ़ल्लुक़ रखने वाले एक बड़े समाजी इदारे के ओ़हदेदार और मुख़्तलिफ़ मेमन बरादरियों के बड़े बड़े लोग तशरीफ़ लाए थे और वोह बेचारे भी इस ह़वाले से अपनी कुढ़न का इ़ज़्हार कर रहे थे। मैं ने देखा है कि शादी पर करोड़ों रुपै ख़र्च किये जाते हैं और फिर कुछ ही दिनों में त़लाक़ हो जाती है या फिर मियां बीवी या सास बहू की आपस में नहीं बनती और लड़की मयके चली जाती है। **अल्लाह** पाक अपने मह़बूब صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم की उम्मत पर रह़्म फ़रमाए। اٰمین بِجاہِ خاتَمِ النَّبِیّٖن صلی اللہ علیہ واٰلہٖ وسلم

(मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, क़िस्त : 91)

सुवाल : बहुत से लोग येह कहते नज़र आते हैं कि ग़लत़ रस्मों ने शादी को बड़ा मुश्किल बना दिया है मगर इन रस्मों को ख़त्म करने के लिये वोह अ़मली त़ौर पर मैदान में नहीं आते यहां तक कि अगर उन के अपने घर के किसी फ़र्द की शादी हो तो वोह भी उन रस्मों में मुब्तला नज़र आते हैं, इस ह़वाले से आप क्या फ़रमाते हैं ?

जवाब : बहुत से लोगों की कुढ़न होती है जैसा कि मेरी कुढ़न है और मैं इस ह़वाले से अ़र्ज़ करता रहता हूं लेकिन अब मेरे ख़ानदान में कुछ ऐसा हो तो मैं क्या कर सकता हूं ? ज़ाहिर है ख़ानदान का हर हर फ़र्द बात माने येह ज़रूरी नहीं है। इसी त़रह़ जो समाजी इदारों के लीडर होते हैं उन में से बा'ज़ वाक़ेई दुखी होते हैं और उन्हें अपनी क़ौम का दर्द होता है लेकिन उन के यहां भी अगर कोई तक़रीब होगी तो भले येह नाराज़ हों और घर में बद मज़्गी हो उन की बात नहीं मानी जाएगी। जवान औलाद के सामने समाजी इदारे का येह बूढ़ा बेचारा क्या करे ? अगर किसी रस्म को रोकने की कोशिश करेगा तो येही बदनाम होगा तो यूं बा'ज़ समाजी लीडर बड़े दर्द वाले होते हैं मगर उन बेचारों की घर में चलती नहीं है। अगर किसी लड़की की शादी करनी हो और समाजी लीडर येह चाहे कि बिल्कुल सादगी से हो जाए तो लड़के वाले बोलते हैं येह रस्म भी होगी और वोह रस्म भी होगी तो अब येह बेचारा क्या करे ? अगर जवान लड़की बैठी रहेगी तो गुनाहों के दरवाज़े खुलेंगे और फिर बहुत सी ख़राबियां होंगी इस लिये बेचारा समाजी रहनुमा न चाहते हुए भी रस्मों में फंस जाता होगा और फिर मुआ़शरे में उस की बदनामी भी होती होगी कि येह बोलता यूं है और करता यूं है। जो इस्लाह़ की बातें करें उन का मज़ाक़ उड़ाना और

उन पर तन्क़ीद करना येह दिल आज़ार त़रीक़ा है। जो बेचारे ग़लत़ रस्में ख़त्म करने का कहें हमें उन की ह़ौसला अफ़्ज़ाई करनी चाहिये और उन के बारे में येह हुस्ने ज़न रखना चाहिये कि येह मुसल्मान हैं लिहाज़ा महज़ ज़बानी नहीं बल्कि दिल से बोलते होंगे। अगर समाजी रहनुमा त़लाक़ के बारे में बोले कि आज कल त़लाक़ें ज़ियादा हो रही हैं ऐसा नहीं होना चाहिये तो अब अगर उन के ख़ानदान में कोई त़लाक़ हो जाए तो उन को बुरा भला बोलना ठीक नहीं है कि बा'ज़ अवक़ात ऐसे ह़ालात पैदा हो जाते हैं कि घर बनता ही नहीं है और त़लाक़ देना ज़रूरी हो जाता है इस लिये उन के यहां भी त़लाक़ हो जाती होगी।

(मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, क़िस्त़ : 91)

सुवाल : निकाह़ के बा'द जब दुआ़ मांगी जाती है तो दूर बैठे लोगों को आवाज़ नहीं आती और जो क़रीब बैठे होते हैं वोह भी शोर की वज्ह से नहीं सुन पाते लेकिन सब हाथ उठाए हुए होते हैं ऐसे मौक़अ़ पर क्या करना चाहिये आया दुआ़ मांगी जाए या ख़ामोश रहा जाए ?

जवाब : अगर कोई दुआ़ मांग रहा हो तो उस की दुआ़ सुनना वाजिब नहीं है अपने त़ौर पर भी दुआ़ मांग सकते हैं। निकाह़ की तक़रीब में उन के लिये दुआ़ करनी चाहिये जिन का निकाह़ हो रहा है कि **अल्लाह** पाक इन की शादी ख़ाना आबादी फ़रमाए, इन का घर शादो आबाद रखे। "शादी ख़ाना आबादी" का मत़लब येह है कि इन का घर आबाद रहे, इन के घर में टूटफूट न हो, लड़ाई झगड़े न हों, सास बहू की जंगे अ़ज़ीम न छिड़े, किसी क़िस्म का हंगामा न हो, त़लाक़ की नौबत न आए बल्कि येह लोग तक़्वा व परहेज़ गारी के साथ **अल्लाह** पाक और उस के ह़बीब

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم की इताअ़त में ज़िन्दगी बसर करें। अफ़्सोस ! येह चीज़ें अब हम में नहीं हैं। बातें बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन अ़मल कुछ नहीं है, किरदार के बहुत मसाइल हैं। शादी ख़ाना आबादी का येही मत़लब है और जो इस का उलट हो वोह शादी ख़ाना बरबादी है मगर येह लफ़्ज़ अ़वाम में इतना मश्हूर नहीं है। (मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, क़िस्त : 42)

मंगनी में पांच मन मिठाई ले कर आना !

सुवाल : अगर लड़की वाले लड़के वालों से कहें कि "मंगनी में पांच मन मिठाई ले कर आना" और लड़के वालों की इतनी गुन्जाइश न हो तो वोह क्या करें ? (SMS के ज़रीए सुवाल)

जवाब : कहीं कहीं ऐसा है जैसे मेमन बरादरी में ख़र्चे की वज्ह से लड़की वाले आज़्माइश में होते हैं और बा'ज़ बरादरियों में लड़के वाले आज़्माइश में होते हैं। बहर ह़ाल मिठाई न तो पांच मन मांगी जाए और न ही पांच किलो क्यूं कि देने वाला इस वज्ह से देता है कि अगर न दी तो शादी नहीं होगी या येह लोग हमारी बच्ची या बच्चे को तक्लीफ़ देंगे या सामने वाले के शर से बचना मक़्सूद होता है कि न देने की सूरत में वोह हमें कन्जूस कहेंगे, त़रह़ त़रह़ की बातें करेंगे और झूट सच मिला कर हमारी जग हंसाई का सबब बनेंगे। याद रखिये ! इस वज्ह से मिठाई या कोई भी चीज़ देना रिश्वत कहलाएगा। (फ़तावा रज़विय्या, 12/257, 258 मुलख़्ख़सन) और लेने वाला गुनाहगार होगा, देने वाला चूंकि शर या बुराई से बचने या अपनी इ़ज़्ज़त की ह़िफ़ाज़त के लिये दे रहा है इस लिये उस पर गुनाहगार होने का हुक्म नहीं होगा।

(फ़तावा रज़विय्या, 17/300 माख़ूज़न, मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, क़िस्त : 95)

शादी बियाह की तक़रीब में ताख़ीर की वज्ह और उस का ह़ल

सुवाल : शादीकार्ड पर खाने का जो वक़्त लिखा होता है उस वक़्त के मुत़ाबिक़ खाना नहीं खिलाया जाता तो क्या येह वक़्त लिखना झूट में शुमार होगा ?

जवाब : लोग ही न आएं तो खाना किस को खिलाएं ? आ़म तौ़र पर लोग वक़्त पर नहीं आते जिस की वज्ह से खाना लेट हो जाता है। लोगों का येह ज़ेह्न बन गया है कि अगर कार्ड पर 10 बजे का लिखा है तो खाना 11 बजे से पहले शुरूअ़ नहीं होगा लिहाज़ा अगर हम लिखे हुए वक़्त के ह़िसाब से जाएंगे तो काफ़ी देर तक शादी हॉल में फंसे रहेंगे तो यूं अब लोगों की ताख़ीर से आने की ऐसी आ़दत बन गई है कि जिस की इस्लाह़ बहुत मुश्किल है।

समाजी इदारे वाले अगर अपनी अपनी कम्यूनिटी के लोगों को समझाएं तो हो सकता है इस का कुछ ह़ल निकल आए वरना ख़ाली क़ानून पास करने से कुछ नहीं होता क्यूं कि क़ानून सिर्फ़ तह़रीर में आ जाएगा और फिर बा'द में पता भी नहीं होगा कि क़ानून बना भी था या नहीं ? बल्कि क़ानून बनाने वाले ख़ुद भी उसे भूल जाएंगे। बेहतर येही है कि एक मजलिस इस काम के लिये बनाई जाए और वोह येह सारे मुआ़मलात ह़ल करने की कोशिश करे जैसा कि अगर इस माह हमारी बरादरी में तीन शादियां हैं तो येह मजलिस दूल्हा और दुल्हन में से हर फ़रीक़ के पास जाए और उन को महब्बत से समझा कर इस बात पर राज़ी करे कि दूल्हा इतने बजे आ जाएगा और दुल्हन वाले भी मजलिस से बोलें कि आप फ़िक्र न करें हमारा खाना दूल्हा वालों के आने से पहले ही शादीहॉल में

मौजूद होगा और हम खाने का इन्तिज़ार नहीं करवाएंगे। इस त़रह़ अगर कोई समाजी इदारा आगे आएगा तो उस की देखादेखी दूसरे समाजी इदारे भी ऐसा करने लगेंगे और यूं निज़ाम में कुछ न कुछ बेहतरी आ जाएगी। सिर्फ़ बातें और देर देर तक बहूसो मुबाह़सा करने और ज़बर दस्ती की हमदर्दियां दिखाने से कुछ नहीं होगा। (मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, क़िस्त़ : 95)

सुवाल : हमारे मुआ़शरे में येह रवाज भी है कि ह़ज पर जाने वाले को क़रीबी रिश्तेदारों के लिये तह़ाइफ़ का बन्दोबस्त करना पड़ता है, इस बारे में राहनुमाई फ़रमा दीजिये।

जवाब : बा'ज़ बेचारे ह़ज की इस्तित़ाअ़त रखने के बा वुजूद भी ह़ज पर नहीं जा पाते इस लिये कि उन के पास ह़ज का ख़र्चा तो होता है मगर रवाज के मुत़ाबिक़ रिश्तेदारों को तह़ाइफ़ देने के लिये ख़त़ीर रक़म नहीं होती। अगर ह़ज का ख़र्चा पांच लाख है तो बत़ौरे मुबालग़ा कहूं तो उन्हें पन्दरह लाख दरकार होंगे क्यूं कि नन्द को येह देना है, भावज को वोह देना है, बेटी को येह देना है तो बाप को वोह देना है। मां और सास को भी फुलां फुलां तोह़फ़ा देना है। यूं इतने सारे रवाज इस ज़ालिम मुआ़शरे ने डाल दिये हैं कि लोग इस डर से ह़ज पर नहीं जा पाते कि अगर ह़ज के लिये जाएंगे तो रस्मो रवाज के मुत़ाबिक़ रिश्तेदारों को तह़ाइफ़ देने पड़ेंगे वरना वोह नाराज़ हो जाएंगे और बातें बनाएंगे। ज़ाहिर है जो तह़ाइफ़ का मुत़ालबा करते हैं वोह अच्छे लोग नहीं हैं और उन के शर से बचने के लिये जो कुछ उन्हें दिया जाएगा वोह उन के ह़क़ में रिश्वत है। ह़ज पर जाने वालों से तह़ाइफ़ लेने के बजाए ख़ुशी ख़ुशी येह कहना चाहिये कि आप ह़ज के लिये जाएं तो हमें कुछ मत देना और अगर देना ही हो तो आबे

ज़मज़म का तोह़फ़ा दे देना। अगर आबे ज़मज़म की बोतल भी न दी तब भी हमारी त़रफ़ से कोई नाराज़ी नहीं है। अगर हर रिश्तेदार इस त़रह़ कह दे तो तह़ाइफ़ के बोझ से छुटकारा मिलने की वज्ह से ह़ज पर जाने वाले के दिल से दुआ़एं निकलेंगी।

याद रखिये! आबे ज़मज़म मांगने को कोई भी रिश्वत नहीं कहेगा इस लिये कि इस में कोई शर वाला मुआ़मला ही नहीं है क्यूं कि येह पानी है अलबत्ता अ़ज्वा खजूर लाने को कहेंगे तो वोह महंगी होती है। ह़ाजी क़ीमती मुसल्ले, क़ीमती तस्बीह़ात, अ़ज्वा खजूरें, सूटपीस, चॉक्लेट के पेकिट और ख़ुदा जाने क्या क्या लाते हैं तो ज़ाहिर है इस त़रह़ की चीज़ें आ़म त़ौर पर बन्दा वाह वाह कर के नहीं "आह आह" कर के देता है।

(मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, क़िस्त़ : 54)

इद्दत ख़त्म होने पर दा'वत करना

इसी त़रह़ इद्दत ख़त्म होने पर दा'वतों को ज़रूरी समझना कि मामूं या फुलां के यहां पहली दा'वत होगी तो इस त़रह़ के अन्दाज़ लोगों ने अपने त़ौर पर घड़ लिये हैं। हां! अगर इन दा'वतों को ज़रूरी न समझें और मामूं, भाई, बहन वग़ैरा ख़ुशदिली के साथ सिलए रेह़मी (या'नी रिश्तेदारों के साथ अच्छा सुलूक) और **अल्लाह** पाक की रिज़ा की निय्यत से दा'वत करते हैं तो येह अच्छा है। ऐसी दा'वत भी इद्दत से निकलते ही ज़रूरी नहीं बल्कि इद्दत के बा'द जब चाहें कर सकते हैं। अगर न भी करें तब भी ह़रज नहीं है। अपने त़ौर पर इस त़रह़ के रस्मो रवाज बना लेना और फिर उन्हें ज़रूरी समझना येह ग़लत़ है क्यूं कि जब तक शरीअ़त का हुक्म न हो कोई भी चीज़ ज़रूरी नहीं होती।

(फ़तावा रज़विय्या, 11/256 माख़ूज़न, मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, क़िस्त़ : 27)

सुवाल : आज कल देखने में आ रहा है कि शादियों में जहेज़ लेने के लिये बड़ी फ़रमाइशें की जाती हैं और इस में किसी क़िस्म का पछतावा भी नहीं होता बल्कि दोनों हाथों से जहेज़ लिया जाता है और बड़ी फ़रमाइशें की जाती हैं कि फ़ुलां चीज़ बड़ी दे दो या अच्छी कम्पनी की दे दो अगर उस में मज़ीद पैसे डालने हों तो हम दे देंगे वग़ैरा, लेकिन जब ह़क़ मह्र की बात आती है तो येही लोग शरीअ़त को पकड़ लेते हैं कि शरीअ़त हाथ से न छूट जाए। इस ह़वाले से रहनुमाई फ़रमा दीजिये, नीज़ येह भी इर्शाद फ़रमाइये कि शर्ई तौ़र पर मह्र कितना होना चाहिये और इस वक़्त के ह़िसाब से शर्ई मह्र कितना बनता है ?

जवाब : मह्र की कम से कम मिक़्दार दो तोले साढ़े सात माशा (30 ग्राम 618 मिली ग्राम) चांदी या इस की रक़म है। (बहारे शरीअ़त, 2/64, ह़िस्सा : 7) ज़ियादा की कोई ह़द नहीं, जितना रखना चाहें रख सकते हैं। जहां तक बेटी को जहेज़ देने का मुआ़मला है तो मां बाप जो जहेज़ की सूरत में अपनी बेटी को देते हैं येह देना सुन्नत है, ख़ातूने जन्नत ह़ज़रते बीबी फ़ातिमा رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا को भी जहेज़ दिया गया था और येह बात बच्चे बच्चे को मा'लूम है। बा'ज़ समाजी इदारों वाले जहेज़ को مَعَاذَاللّٰہ ला'नत कहते हैं येह बिल्कुल ग़लत़ है। अलबत्ता जहेज़ के लिये सामने वालों का मुत़ालबा करना कि येह भी चाहिये वोह भी चाहिये येह सब ग़लत़ है। इस सूरत में वालिदैन उन के शर से बचने के लिये येह सब देंगे और उन पर बोझ पड़ेगा और उन का दिल भी परेशान होगा लिहाज़ा ऐसा मुत़ालबा हरगिज़ न किया जाए। इस त़रह़ मांगना अपनी ज़ात के लिये मांगना है और येह भी ग़लत़ है कि सुवाल करना है। देने वालों ने इस लिये

दिया कि अगर नहीं देंगे तो येह लोग हमारी बच्ची को त़ा'ने देंगे कि तेरी मां ने दिया क्या है ? शौहर, सास या जिस की वज्ह से भी इस त़रह़ कुछ दिया जाएगा वोह रिश्वत कहलाएगा ।

दा'वतों में वन डिश सिस्टम राइज होना मुफ़ीद है

(अमीरे अहले सुन्नत دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه के क़रीब बैठे हुए मुफ़्ती साहिब ने फ़रमाया :) बा'ज़ बरादरियों के बारे में पता चला था कि उन लोगों में एक से ज़ाइद खाने करने पर पाबन्दी है और येह भी त़ै है कि कौन सी डिश खिलानी है और किस त़रह़ खिलानी है । इस से समझ आता है कि अगर बरादरी वाले इस त़रह़ की कुछ पाबन्दी लगाएं और अ़मल भी करें तो काफ़ी मसाइल ह़ल हो सकते हैं लेकिन बात वोही है कि जब येह पाबन्दियां लगाने वालों के ख़ुद अपने सर पर आती है तो इन के अपने ही घर वाले मसाइल खड़े कर देते हैं और येह बेचारे आज़्माइश में आ जाते हैं । (अमीरे अहले सुन्नत دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه ने फ़रमाया :) ओखाई मेमनों में शादी के मौक़अ़ पर सारी बरादरी को दा'वत दी जाती थी और खाने में दाल चावल होते थे । उन के दाल चावल वाक़ेई बड़े लज़ीज़ होते थे और सस्ते में हो जाते थे । अब मा'लूम नहीं कि क्या सिल्सिला होगा क्यूं कि आहिस्ता आहिस्ता ख़राबियां आती जा रही हैं, लोग न जाने क्या क्या चीज़ें शामिल कर देते हैं और उन की वज्ह से ग़रीब आदमी पिस जाता है, गोया येह चीज़ें तो ज़रूरी हो चुकी हैं या'नी खाने में 100 त़रह़ की डिशें न हों तो बदनाम हो जाएगा और बुरा भला सुनना पड़ेगा लिहाज़ा इस से बचने के लिये बेचारा क़र्ज़ लेगा अगर्चे सूदी क़र्ज़ लेना पड़े मगर वोह लेगा और येह सब करेगा । (मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, क़िस्त : 67)

सुवाल : आज कल लोग शादियों में दूल्हा और दुल्हन पर फूल बरसाते हैं क्या येह इसराफ़ है ? (निगराने शूरा का सुवाल)

जवाब : शादियों में दूल्हा और दुल्हन पर फूल बरसाने को इसराफ़ नहीं कहेंगे क्यूं कि इस पर उ़र्फ़ है। फूल पहनाए जाने को गुलपोशी और फूल निछावर करने को गुलपाशी कहते हैं। गुलपाशी उ़लमा पर ब कसरत होती है और اَلْحَمْدُ لِلّٰه ! जुलूसे मीलाद में भी होती है। दूल्हा दुल्हन पर गुलपाशी करना शर्ई त़ौर पर ना जाइज़ नहीं है और इसे इसराफ़ भी नहीं कहा जा सकता इस लिये कि गुलपाशी से ख़ुश्बू फैलती है और माह़ोल में एक कशिश और रौनक़ पैदा होती है तो यूं इस का कुछ न कुछ फ़ाएदा और मक़्सद है। अब लोग येह समझते हैं कि गुलपाशी करने से फूल पाउं तले आएंगे ह़ालां कि येह फूल सरकार صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم के पसीने से पैदा हुए हैं लिहाज़ा गुलाब के फूलों की बे अदबी होगी तो येह एक अ़वामी तसव्वुर है । बा'ज़ रिवायात में येह है कि गुलाब का फूल सरकार صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم के मुबारक पसीने से पैदा हुवा है लेकिन मुह़द्दिसीन ने ऐसी रिवायात पर बड़ी जर्ह़ और बड़ा कलाम किया है और अक्सर मुह़द्दिसीन के नज़्दीक येह रिवायात मन घड़त हैं ।

(کشف الخفاء، 1/229، تحت الحدیث:797 ماخوذاً، المقاصد الحسنۃ، ص138، تحت الحدیث:261 ماخوذاً)

बिलफ़र्ज़ अगर येह मान भी लिया जाए कि फूल बनने का सबब सरकार صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم का पसीना है तब भी शायद येह गुलपाशी के ना जाइज़ होने की वज्ह न बन सके। (मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, क़िस्त : 33)

सुवाल : अगर शादी वग़ैरा किसी तक़रीब के मौक़अ़ पर फूल निछावर करने के लिये चारों त़रफ़ बे पर्दा लड़कियां जम्अ़ हों तो ? (निगराने शूरा का सुवाल)

जवाब : यक़ीनन बे पर्दगी को रोका जाएगा। शादी में खाने की दा'वत तो जाइज़ है अब अगर उस में ना महरम औरतें और मर्द मिल कर खा रहे हों और क़ह्क़हे लगा कर हंस रहे हों तो इसे कौन जाइज़ कहेगा ? शादी में फूल निछावर करना और खाने की दा'वत करना जाइज़ है अलबत्ता अगर इस में कोई ना जाइज़ हरकत दाख़िल हो गई तो उसे ना जाइज़ कहा जाएगा। (मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, क़िस्त : 33)

जहेज़ का मालिक कौन ?

सुवाल : जहेज़ मर्द या औरत में से किस की मिल्क होता है ?

जवाब : जहेज़ औरत की मिल्क होता है। (ردالمحتار، 5/302) शादी बियाह के मौक़अ पर लड़की को जो कुछ जहेज़ में (ज़ेवरात और दीगर सामान वग़ैरा) वालिदैन, अज़ीज़ो अक़ारिब और लड़के वालों की तरफ़ से दिया जाता है, वोह सब लड़की की मिल्कियत होता है क्यूं कि जहेज़ के मुआमले में फ़ुक़हा ने उ़र्फ़ (मुआशरे में जैसा रवाज है उस) को मो'तबर जाना है। फ़िक़्ह की किताबों में अरबो अजम के बारे में येही लिखा है कि जहेज़ और शादी के वक़्त लड़की को दोनों जानिब से जो ज़ेवरात और कपड़े वग़ैरा दिये जाते हैं वोह लड़की ही की मिल्कियत होते हैं लिहाज़ा उ़र्फ़ का ए'तिबार होगा। नीज़ तलाक़ के बा'द भी येह तमाम ज़ेवरात वग़ैरा जो लड़के वालों की जानिब से लड़की को मिले हैं येह सब लड़की की मिल्कियत होंगे। पाक व हिन्द में ऐसा ही उ़र्फ़ है कि शादी के वक़्त लड़की को मालिक बना कर ज़ेवरात वग़ैरा दे दिये जाते हैं न कि आ़रियतन (वापस ली जाने वाली चीज़)। तलाक़ के बा'द अगर किसी बरादरी (ख़ानदान) में येह उ़र्फ़ हो कि लड़के वाले अपने ज़ेवरात वापस

ले लेते हैं तो इस उ़र्फ़ का ए'तिबार न होगा। लड़की जिस चीज़ की मालिक हो चुकी है उस में बरादरी (ख़ानदान) वाले अगर येह फ़ैसला करें कि त़लाक़ के बा'द उस से उस की मिल्किय्यत सल्ब कर ली जाएगी तो येह रवाज शरीअ़त के ख़िलाफ़ है। हां ! अगर किसी बरादरी (ख़ानदान) में येह रवाज हो कि देते वक़्त मालिक बना कर न देते हों बल्कि आ़रियत के त़ोर पर देते हों और बरादरी (ख़ानदान) वाले इस उ़र्फ़ पर शाहिद हों तो इस उ़र्फ़ का ए'तिबार होगा और लड़की मालिक न होगी।

(वक़ारुल फ़तावा, 3/256 मुलख़्ख़सन)

यहां तक कि अगर बाप ने बेटी के लिये जहेज़ तय्यार किया और उसे बेटी के सिपुर्द कर दिया या'नी मालिकाना त़ौर पर दे दिया तो अब बाप भी वापस नहीं ले सकता जैसा कि दुर्रे मुख़्तार में है कि किसी शख़्स ने अपनी बेटी को कुछ जहेज़ दिया और वोह उस के सिपुर्द भी कर दिया तो अब उस से वापस नहीं ले सकता और न ही उस के मरने के बा'द उस के वारिस वापस ले सकते हैं बल्कि वोह ख़ास औ़रत की मिल्किय्यत है और इसी पर फ़तवा दिया जाता है बशर्ते कि उस ने येह जहेज़ ह़ालते सिह़्ह़त में बेटी के सिपुर्द किया हो (या'नी मरज़ुल मौत में न दिया हो)।

(درمختار، 4/304) (मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, क़िस्त : 17)

सुवाल : ज़ौजा फ़ौत हो जाए तो क्या सारा जहेज़ शौहर रख सकता है या नहीं ?

जवाब : ज़ौजा फ़ौत हो जाए तो शौहर या कोई और उस के जहेज़ वग़ैरा का तन्हा मालिक या ह़क़दार नहीं हो सकता बल्कि वोह सारा सामान जो औ़रत की ज़ाती मिल्किय्यत था, उस के मरने के बा'द शरई क़ानून के

मुताबिक़ वुरसा में तक़्सीम होगा जैसा कि मेरे आक़ा आ'ला ह़ज़रत, इमामे अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अह़मद रज़ा ख़ान رَحْمَةُاللهِ عَلَيْه फ़रमाते हैं : जहेज़ हमारे बिलाद (या'नी शहरों) के उ़र्फ़े आ़म शाएअ़ से ख़ास मिल्के ज़ौजा होता है जिस में शौहर का कुछ ह़क़ नहीं, त़लाक़ हुई तो कुल लेगी और मर गई तो उसी के वुरसा पर तक़्सीम होगा।

(फ़तावा रज़विय्या, 12/203) (मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, क़िस्त : 17)

सुवाल : बा'ज़ जगह येह रवाज है कि जहेज़ में दिये गए सामान को बा क़ाइ़दा सजा कर मेहमानों के सामने पेश किया जाता है, बा'ज़ जगह एक शख़्स खड़े हो कर ए'लान भी कर रहा होता है कि येह सोने का सेट इतने तोले का है, ऐसा करना कैसा ?

जवाब : जहेज़ की नुमाइश करने में कोई शर्ई मुमानअ़त तो नज़र नहीं आती अलबत्ता इस में अख़्लाक़ी और मुआ़शरती ख़राबियां ज़रूर हैं। मुआ़शरे में नुमूदो नुमाइश का शौक़ इस क़दर सरायत कर चुका है कि मस्जिद में चन्दा देते वक़्त भी ख़्वाहिश की जाती है कि नाम ले कर दुआ़ की जाए ताकि लोगों को भी पता चल जाए कि मा बदौलत ने मस्जिद को चन्दा देने का एह़सान किया है। (मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, क़िस्त : 12)

सुवाल : आज कल बा'ज़ जगहों पर जहेज़ की नुमाइश की जाती है, लोगों को जहेज़ दिखाने का बा क़ाइ़दा एहतिमाम किया जाता है, क्या ऐसा करने में यतीम और ग़रीब बच्चियों की दिल आज़ारी नहीं है ?

जवाब : जहेज़ की नुमाइश करने को दिल आज़ारी नहीं कह सकते। अगर ऐसा हो तो फिर बिल्डिंग बनाना भी दिल आज़ारी का सबब होगा कि झुग्गी में रहने वाले का दिल दुखेगा बल्कि झुग्गी बनाना भी मन्अ़ हो जाएगा कि जो फ़ुटपाथ पर पड़े हैं, जिन के पास झुग्गी भी नहीं उन का

दिल टूट जाएगा, तो यूं दुन्या का निज़ाम ही रुक जाएगा, लिहाज़ा अगर किसी ने **अल्लाह** पाक की रिज़ा के लिये दिलजूई और दीगर अच्छी निय्यतों के साथ अच्छा जहेज़ दिया, वाह वाह और हुब्बे जाह मक़्सूद नहीं है और वोह चार आदमियों को जहेज़ दिखा भी देता है तो इस पर किसी की दिल आज़ारी का हुक्म लगाना समझ में नहीं आ रहा। अलबत्ता इस से बचना बेहतर है। (मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, क़िस्त : 31)

सुवाल : बहन को जहेज़ में कौन सी किताब दी जाए ?

जवाब : سُبْحٰنَ اللہ ! बहन को जहेज़ में तफ़्सीर "सिरातुल जिनान" की 10 जिल्दें दे दीजिये। क़ुरआने करीम की तफ़्सीर घर में रखी रहेगी जब भी बरकतें लुटाती रहेगी। इस में आ'ला ह़ज़रत, इमामे अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अह़मद रज़ा ख़ान رَحْمَۃُ اللہِ عَلَیْہ का तरजमए क़ुरआन कन्ज़ुल ईमान भी है। अगर ख़र्चा कम करना चाहें तो फिर बहारे शरीअ़त दी जा सकती है या फिर तरजमए क़ुरआन कन्ज़ुल ईमान मअ़ ख़ज़ाइनुल इ़रफ़ान एक ही जिल्द में है येह दिया जा सकता है। फ़ैज़ाने सुन्नत जिल्द अव्वल और इस के दीगर अब्वाब मसलन ग़ीबत की तबाह कारियां, नेकी की दा'वत येह पूरा सेट भी दिया जा सकता है। जितनी क़ुतुब का मैं ने अ़र्ज़ किया येह सारे सेट भी जहेज़ में दिये जा सकते हैं। लोग लाखों करोड़ों रुपै शादियों पर ख़र्च करते हैं और सोने का ढेर लगा देते हैं, अगर नेकियों का ढेर लगाने वाले अस्बाब भी चन्द हज़ार रुपै ख़र्च कर के दे दिये जाएं तो मदीना मदीना। घर में दीनी किताबें होंगी तो कभी न कभी कोई तो खोल कर देखेगा कि येह क्या है ? आने वाली नस्लें देखेंगी कि येह क्या है ? घर के दीगर अफ़राद देखेंगे कि येह क्या है ? लिहाज़ा जहेज़ में दीनी किताबें देनी चाहिएं। (मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, क़िस्त : 30)

सुवाल : शादी में बहुत से लोग क़ीमती और महंगे गुलदस्ते तोहफ़े में देते हैं, क्या येह दुरुस्त है ? (शो'बा मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत)

जवाब : शादी के मौक़अ़ पर जो उलटे सीधे त़रह़ त़रह़ के Gifts (तह़ाइफ़) दिये जाते हैं तो वोह किसी काम के नहीं होते। मसलन आ़म त़ौर पर शादियों में शो पीस देते हैं या ऐसे क़ीमती गुलदस्ते देते हैं जिन में आ़म त़ौर पर ख़ुश्बू नहीं होती तो ऐसे गुलदस्ते देना जाइज़ है, यूं ही ऐसे शो पीस देना भी जाइज़ है जिन में जानदार का पुतला न हो लेकिन ऐसी चीज़ों के फ़वाइद कम हैं। अब गुलदस्ते को बन्दा क्या करेगा ? मसलन ह़ाजी उ़बैद रज़ा को किसी ने क़ीमती गुलदस्ता आ कर दिया, अब ह़ाजी उ़बैद रज़ा ने उसे क्या करना है ? جَزَاکَ اللہ कह कर रख लेना है और फिर किसी को पकड़ा देना है। अगर कुछ देना ही था तो इस की जगह कोई दीनी किताब दे देते। अगर कोई इ़मामा पहनता है तो उस को सूटपीस और इ़मामा दे देते, सुन्नत के मुत़ाबिक़ पहनता रहेगा और नमाज़ें पढ़ता रहेगा। दा'वते इस्लामी के मक्तबतुल मदीना में हज़ारों दीनी किताबें हैं, उन में से कोई किताब ह़स्बे तौफ़ीक़ ख़रीद कर तोहफ़े में दे दी जाए। अगर शादी के गिफ़्ट के त़ौर पर कोई किताब देनी है तो उस पर लिख भी दें कि फ़ुलां की शादी के मौक़अ़ पर तोह़फ़ा, या शादी मुबारक। अगर शादी मुबारक वग़ैरा लिख कर किताब देंगे तो उम्मीद है कि वोह यादगार के त़ौर पर संभाल कर रखे और पढ़े। अगर दूल्हा पहले से दीनी माह़ोल में है तब भी किताब तोह़फ़े में दें कि घर में कोई तो पढ़ेगा। मुसल्मानों के घर में दीनी किताब जाएगी तो किसी क़िस्म का नुक़्सान नहीं पहुंचाएगी बल्कि اِنْ شَآءَ اللہ الکَرِیم कुछ न कुछ कमा कर देगी।

(मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, क़िस्त : 30)

"ग़ीबत की हलाकत ख़ैज़ियां" के सतरह हुरूफ़ की निस्बत से मंगनी/शादी में ग़ीबतों की 17 मिसालें[1]

जब रिश्ता तै करना होता है तो फ़रीक़ैन मीठे मीठे बन कर तरकीब बना लेते हैं, मगर इस दौरान भी और बा'द में तो अक्सर ग़ीबतों का सिल्सिला रहता है इस की 17 मिसालें मुलाहज़ा हों : ✲ बे मुरव्वत लोग हैं ✲ घर आ कर दा'वत देनी चाहिये थी ✲ सिर्फ़ कहलवा दिया या ✲ फ़ोन से ही गुज़ारा कर लिया ✲ सास ने किसी को बुलाने के लिये भी नहीं भेजा ✲ हम ने उन को अपने यहां के लिये ज़ियादा आदमियों को साथ लाने की दा'वत दी थी मगर उन्हों ने हम को बहुत थोड़े आदमियों की दा'वत दी है ✲ मैं दा'वत में गया तो सुसर ने मुझे ख़ास लिफ़्ट नहीं दी ✲ मुझे येह तक नहीं बोला कि "और खाओ" ✲ लड़की वालों की त़रफ़ से बहुत दिन हुए कोई दा'वत नहीं मिली येह कोई त़रीक़ा है ! ✲ कन्जूस मख्खी चूस हैं ✲ खाने का सिर्फ़ पतीला भिजवा दिया देग आनी चाहिये थी ✲ सास का दिल बहुत छोटा है ✲ आम की सिर्फ़ एक ही पेटी भेजी और ✲ आम भी बस ऐसे ही थे ✲ बड़े भाई के लिये घड़ी ✲ बाजी के लिये सूट और ✲ अम्मी के लिये चादर की तरकीब थी मगर हर चीज़ घटिया पकड़ाई वग़ैरा वग़ैरा। इन में बा'ज़ तो वोह ग़ीबतें हैं जिन को शायद "चोरी और सीना ज़ोरी" कहें तब भी ग़लत़ नहीं क्यूं कि अव्वल तो जिन चीज़ों के गिले शिक्वे हो रहे हैं उन के अन्दर अक्सर रिश्वत की भयानक आफ़त भी शामिल है। मसलन येह मुत़ालबात करना

1... येह मज़्मून अमीरे अहले सुन्नत دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه की किताब "ग़ीबत की तबाह कारियां" से लिया गया है।

कि लड़के के भाई और वालिदैन को लड़की वाले येह येह चीज़ें देंगे तो ही हम रिश्ता करेंगे तो येह "रिश्वत" हुई। लड़की वाले अगर तह़ाइफ़ नहीं देते तो लड़के वाला फ़रीक़ त़ा'ने महने देता है लिहाज़ा अपनी लड़की को सुसराल वालों के शर से बचाने के लिये आम की पेटियां और खाने के पतीले वग़ैरा पेश किये जाते हैं। मेरे आक़ा आ'ला ह़ज़रत, इमामे अहले सुन्नत, मौलाना शाह इमाम अह़मद रज़ा ख़ान رَحْمَةُاللهِ عَلَيْه फ़रमाते हैं : "रिश्वत वोह है जो बा'ज़ क़ौमों में राइज है कि अपनी बेटी या बहन का रिश्ता किसी से उस वक़्त तक नहीं करते जब तक ख़ातिब (या'नी निकाह़ का पैग़ाम देने वाले) से अपने लिये कोई चीज़ ह़ासिल न कर लें, नीज़ रिश्वत वोह है कि कोई शख़्स अपने ज़ेरे विलायत (या'नी ज़ेरे सर परस्ती) लड़की का रिश्ता तो कर दे मगर अपने लिये कुछ लिये बिग़ैर वोह लड़की शौहर के ह़वाले न करे।" (फ़तावा रज़विय्या, 12/257) याद रखिये ! रिश्वत ह़राम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है चुनान्चे ह़दीसे पाक में है : اَلرَّاشِیْ وَالْمُرْتَشِیْ فِی النَّارِ या'नी रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों जहन्नमी हैं। (معجم اوسط، 1/550، حدیث:2026)

रिश्वत से तौबा का त़रीक़ा

ऐ आ़शिक़ाने रसूल ! जिस ने रिश्वतें ली हों, अब नादिम है तो सिर्फ़ ज़बानी तौबा काफ़ी नहीं, तौबा के साथ साथ सारी रिश्वतें उन को लौटाना होंगी जिन जिन से ली हैं, वोह न रहे हों तो उन के वारिसों को दे, उन का भी पता न लगे तो फ़क़ीर को दे दे। रिश्वत की मज़ीद मा'लूमात के लिये फ़ैज़ाने सुन्नत जिल्द अव्वल सफ़ह़ा 540 ता 554 का मुत़ालआ़ फ़रमा लीजिये।

फ़रमाने आख़िरी नबी

जब तुम्हारे पास ऐसे लड़के का रिश्ता आए जिस की दीनदारी और अख़्लाक़ तुम्हें पसन्द हों तो उस से (अपनी बेटी का) निकाह करो, अगर ऐसा न करोगे तो ज़मीन में फ़ित्ने और लम्बे चौड़े फ़साद बरपा हो जाएंगे।

(ترمذی، 2/344، حدیث:1086)

हकीमुल उम्मत मुफ़्ती अह़मद यार ख़ान नईमी फ़रमाते हैं : लड़की के लिये दीनदार, आदातो अत़्वार का दुरुस्त लड़का मिल जाए तो मह़्ज़ माल की हवस में और लखपती के इन्तिज़ार में जवान लड़की के निकाह़ में देर न करो, अगर मालदार के इन्तिज़ार में लड़कियों के निकाह़ न किये गए तो इधर तो लड़कियां बहुत कुंवारी बैठी रहेंगी और उधर लड़के बहुत से बे शादी रहेंगे जिस से बदकारी फैलेगी और लड़की वालों को नंगो आ़र का सामना करना पड़ेगा, नतीजा येह होगा कि ख़ानदान आपस में लड़ेंगे, क़त्लो ग़ारत होंगे, जिस का आज कल ज़ुहूर होने लगा है।

(मिरआतुल मनाजीह़, 5/8 मुल्तक़त़न)

978-969-722-256-8
01082259

فیضانِ مدینہ محلہ سوداگران، پرانی سبزی منڈی کراچی
UAN +92 21 111 25 26 92 0313-1139278
www.maktabatulmadinah.com / www.dawateislami.net
feedback@maktabatulmadinah.com / ilmia@dawateislami.net